राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	487/2018	देवेन्द्र सिंह	1. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर। 2. पुलिस आयुक्त, जयपुर सिटी। 3. उप आयुक्त पुलिस, आयुक्तालय, जयपुर।
2.	488/2018	ओमप्रकाश	
3.	489/2018	भगवान सहाय	
4.	490/2018	हलदर कुमार	
5.	493/2018	इन्द्राज स्वामी	
6.	494/2018	शिव राम	
7.	515/2018	ओम प्रकाश	
8.	516/2018	बिरदीचन्द	
9.	528/2018	पृथ्वी सिंह	
10.	591/2018	शाही राम	
11.	1266/2018	उदय सिंह	

आदेश की दिनांक : 28.08.2023

<u>उपस्थित</u> :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री एम.एम. महर्षि, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इन समस्त अपीलों में अपीलार्थीगण ओबीसी केटेगरी के अभ्यर्थी है, जिनमें अपीलार्थीगण ने वर्ष 1996–1997 को भर्ती कांस्टेबल के पद पर मेरिट सूची को ठीक करने की प्रार्थना की है। साथ ही मेरिट सूची के आधार पर बनाई गई वरिष्ठता सूची को संशोधित किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण द्वारा पूर्व में अपील संख्या 4581/2018 ईशर सिंह बनाम डी.जी.पी. राजस्थान व अन्य प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 03.07.2023 में वर्ष 1996–97 में भर्ती कांस्टेबलों में एससी केटेगरी के कांस्टेबलों की वरिष्ठता सूची पुनः तैयार करने के निर्देश दिये थे। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण भी वर्ष 1996–97 में भर्ती कांस्टेबलों की मेरिट सूची व उसके आधार पर बनाई जाने वाली वरिष्ठता सूची के संबंध में है, ऐसे में इस प्रकरण में यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थीगण, जो ओबीसी केटेगरी के व्यक्ति है, उनकी वरिष्ठता भी अधिकरण द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 03.07.2023 को दृष्टिगत रखते हुए बनाई जाये एवं यह ध्यान में रखा जाये कि एससी केटेगरी के जिन अभ्यर्थीयों को मेजरमेंट रिलेक्शन का लाभ दिया गया है, उन्हें वरियता सूची में अधिकरण के अपील संख्या 4581/2018 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2023 के अनुसार नीचे रखा जावे।
2. वरिष्ठता सूची तैयारी करने के लिए प्रत्यर्थी विभाग को 3 माह का समय प्रदान किया जाता है। उक्त आदेश के साथ सभी प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)